श्री रामावतार शास्त्री : नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। श्री राम सुभग सिंह की पार्टी के लोग भी...(व्यवधान)

EMPLOYMENT GUARANTY BILL*

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide a guaranty for employment to every citizen of the age of eighteen years or more and in particular to the citizens belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, who have been registered at the Employment Exchanges.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide a guaranty for employment to every citizen of the age of eighteen years or more and in particular to the citizens belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, who have been registered at the Employment Exchanges."

The motion was adopted.

DR. RAM SUBHAG SINGH: I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Substitution of Article 155)

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

DR. RAM SUBHAG SINGH: I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(Amendment of articles 330 and 332)

श्री रामावतार शास्त्री : तो मैं यह कह रहा था कि जो उन्हें अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों का प्रयोग करने में उन्हें तरह तरह की कठिनाइयां होती हैं। लाठी के जरिए वोटरों को रोक दिया जाता है जो हमारे जनतंत्र के विकास के लिये बड़ा ही खतरनाक है पिछले चुनावों में भी ऐसा हुआ है और आगे भी खतरा है।

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Sir, I would like to move a closure motion. The same point is repeated over and over again by every hon. Member. Irrespective of parties, everybody is supporting it. So, the motion of Shri Suraj Bhan may be put to vote, because there are several other important measures yet to be taken up. So, I would like to bring a closure motion.

MR. CHAIRMAN: Please do not bring the closure motion. A few Members are yet to speak. Please allow them time. Acharyaji will have the opportunity—I will give him the opportunity—to move for consideration of his Bill.

SHRI S. M BANERJEE (Kanpur): We are also committed to Acharya Kripalani to make his speech. Time will be left so that Acharyaji is able to make his speech. What is his fear? I do not know why the ex-Maharaja is so much interested in it.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह कह रहा था कि उन्हें जो अधिकार प्राप्त हैं, उन्हीं अधिकारों को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिये यह बिल श्री सूरज भान जी ने यहां पेश किया है। मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि मैं इस बिल का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए ही हमारे देश में आज तक जो परिपाटी चली आ रही है, उसकी तरफ

---

*Published in the Gazette of India Extra-ordinary, Part II, Section 2 dated 12-11-1970.

सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा था कि वोट देने के वक्त उन्हें स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे जिसको वोट देना चाहें दे सकें। जो लोग लाठी के बल पर या दूसरे तरीकों से उन्हें वोट देने से रोकते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसा हमने इस लिये कहा कि पिछले मध्यावधि चुनावों में हमारे अपने कैंडीडेट के पक्ष में उनको वोट देने से रोका गया, मुसलमान वोटरों को चुनाव बूथ पर जाने नहीं दिया गया हरिजन बोटरों को नहीं जाने दिया गया, लाठी के बल पर रोक दिया गया। मसौढ़ी कांस्टीचूएन्सी में हमारा उम्मदीवार सिर्फ 104 वोटों से हार गया इस तरह से राजपूतों ने हमारे वोटरों को वोट देने नहीं जाने दिया। इस लिये मेरा अनुरोध है कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि वोटरों को वोट देने से रोका न जाय और अगर रोका जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। अगर आप ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे, तो मान लीजिये कि हम श्री सूरज भान जी के विधेयक को स्वीकार करते हैं और उन के अनुपात से उन के लिये स्थान बढ़ा देते हैं, लेकिन जब वोटर वोट देने ही नहीं जायेंगे तो फिर इसका क्या लाभ होगा, इसमें अनेकों कठिनाइयां पैदा हो जायेगी। इसलिए आवश्यकता इस चीज की है कि हमें उन्हें अधिकार भी दें और उन अधिकारों को स्वतंत्रता के साथ, निर्भीकता के साथ, बिना किसी दबाव के प्रयोग करने की गारन्टी भी दें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर ले। हालांकि यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि विरोधी दलों के भी सब लोग यहां पर मौजूद नहीं हैं, सरकारी दल के तो बिल्कुल ही नहीं है और चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, इस लिये इसके पास करने के लिये दो तिहाई बहुमत चाहिये, इस लिये मालूम नहीं कि क्या होगा, लेकिन जो भी हो इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिये। अगर किसी वजह से नहीं होता है तो सरकार को ऐसा बिल स्वयं लाना चाहिये ताकि हरिजनों के साथ जो बेइंसाफी हो रही है, वह खत्म हो और उनको सही प्रतिनिधित्व मिल सके और वे स्वतन्त्रता से अपने मत का उपयोग कर सकें।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): सभापति जी, जो विधेयक श्री सूरज भान जी ने सदन के सामने रखा है, मुझे प्रसन्नता है कि सदन के सभी सदस्यों, सभी राजनैतिक दलों ने इसका समर्थन किया है।

सभापति जी, यह बात उचित ही है कि जो लोग पिछले सैकड़ों सालों से पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, उनकी गणना के अनुसार स्थान दिया जाय। इस विधेयक में इसी चीज का प्रावधान है कि जितनी उन की गणना है, उस के अनुसार उनको लोक सभा में और विधान सभाओं में जगहें दी जायें मेरे हिसाब से, सभापति जी, अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाय तो केवल लोकसभा में 9 नई सीटें शेड्यूल्ड कास्ट को और ज्यादा जायेंगी। और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को दस सीट्स और जायेंगी। कुल मिला कर 19 सीट्स और ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज भाइयों को मिलेंगी। इसका मतलब यह है कि आज तक यह सरकार 19 लोगों की कमी की पूर्ति जोकि उनके हक में है वह नहीं कर रही है। यह सरकार जो नारा लगाती है कि हम हरिजनों के लिये बहुत काम करते हैं वह केवल एक खोखला नारा है। उन के जो उचित अधिकार हैं वह भी यह सरकार देना नहीं चाहती है। इस विधेयक के जरिये से दो बातें हो रही हैं। एक तो इस सरकार को नंगा करने का काम हुआ है कि यह सरकार हरिजनोंद्धार के लिये जो नारा लगाती है वह केवल एक नारा ही है। इस सरकार ने काम कुछ नहीं किया है। दूसरी चीज यह है कि जो उनके उचित अधिकार हैं वह उनको मिलने चाहिए।

[श्री कंवर लाल गुप्त]

इस सिलसिले में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अन्डमन और निकोबार में वास्तव में आज एक जनरल सीट है लेकिन जो शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमेटी की रिपोर्ट है और जो पेरूमल कमेटी की रिपोर्ट है उसमें यह बात कही गई है कि यह सीट शेड्यूल्ड कास्ट्स को देनी चाहिये। लेकिन चूंकि यहां पर आपको किसी मंत्री को लाना है इसलिये होशियारी से उसको रिजर्व सीट न बना करके झूठी और गलत एन्ट्रीज करके, जो शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट न लिख करके, उसको जनरल सीट बना दिया गया है। इस तरह की यह हरिजनों का उद्धार करने वाली सरकार है कि हरिजनों की सीट को दबा करके अपने निजी स्वार्थ के लिये, अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये किसी एक व्यक्ति के लिये, उसको इन्होंने जनरल सीट बना दिया है। मैं चाहूँगा कि इस के बारे में जांच हो। मंत्री महोदय इसका जवाब दें कि इस तरह का काम क्यों किया गया और अगर किया गया है तो क्या कम से कम अगले चुनाव में यह बात नहीं रहेगी ?

सभापति महोदय मैं इस बात को नहीं मानता कि अगर हरिजनों की 19 सीट्स और जुड़ गई तो हरिजनों का उद्धार हो जायेगा और हरिजनों की जो समस्यायें हैं वह इस देश से दूर हो जायेंगी। आजादी के बीस साल बाद भी इस देश में हरिजनों की परिस्थिति में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जोकि कहते हैं कि हरिजनों को छूने पर हाथ धोना चाहिये, नहाना चाहिये और हरिजनों को छूना ही नहीं चाहिये। इस बात को मैं समाज और धर्म के माथे पर एक कलंक का टीका समझता हूं कि जो लोग इन्सान और इन्सान में भेद करते हैं मैं उनको स्वयं इन्सान नहीं मानता। हमारे हिन्दू समाज में जो लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि वहां पर अनटचेबिलिटी की जगह है या जो यह कहते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारी पवित्र किताबों में अनटचेबिलिटी की जगह है, मैं समझता हूँ वे हिन्दू संस्कृति और हिन्दू धर्म को नहीं समझते हैं। जो लोग इस प्रकार का गलत दावा करते हैं मैं कहूंगा कि वे हिन्दू धर्म की सेवा नहीं करते हैं बल्कि हिन्दू धर्म पर एक कुठाराघात करते हैं और हिन्दू समाज पर एक जबर्दस्त चोट करते हैं जाकि शायद एक दूसरा दुश्मन भी न कर पाये। इसलिये मैं कहूंगा कि जो अपने को हिन्दू समाज का ठेकेदार कहते हैं वे इस प्रकार की बातें न करें। अगर वे इस प्रकार की बातें न करें तो उससे हिन्दुओं का कल्याण होगा, हिन्दू समाज का कल्याण होगा।...(**व्यवधान**)... इस सम्बन्ध में हमारे और वाजपेयी जी के विचारों में कोई फर्क नहीं है। यह हमारी पार्टी का विचार है। मेरे ख्याल से हिन्दू समाज में, हिन्दू संस्कृति में और हिन्दू धर्म की किसी पुस्तक में इस प्रकार की चीजें नहीं है और अगर किसी किताब में किसी ने बाद में ऐसी चीजें डाल दी है तो मैं कहूंगा कि उसको बदल देना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...मेरा कहना है कि आज इस ईश्यू पर एक डायनेमिक एप्रोच लेनी चाहिये जब तक हरिजनों की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं होती तब तक केवल एक आदमी को मंत्री बना दिया या केन्द्रीय मंत्री बना दिया, इससे केवल समाधान इस समस्या का नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, अब एक उदाहरण दे कर मैं समाप्त करूंगा। यह सरकार इतने नारे लगाती है और हमारी प्रधान मंत्री जी तो बार बार कहती हैं कि हरिजनों के लिये यह होना चाहिये गरीबों के लिये यह होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूँ कि 20 साल में इस सरकार ने क्या किया ? कुछ वोट पकड़ने के लिये इन्होंने दो चार शकलें इधर उधर बैठा रखी हैं। हरिजनों के किसी एक आदमी को मंत्री बना दिया और किसी को कुछ बना

दिया, लेकिन सारे हरिजनों के लिये या सर्वसाधारण हरिजनों के लिये आपने कुछ नहीं किया। आपके जरिये मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वहां पर जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें हरिजन कितने हैं? जो साधारण आदमी हैं उनमें हरिजन केवल डेढ़ फीसदी हैं और अफसरों की संख्या तो सारे बैंकों में केवल 11 है यानि यह एक परसेंट या आधा परसेंट भी नहीं आती है। मैं यह कह कर इस बिल का समर्थन करूंगा कि सरकार केवल नारे लगाना बन्द कर दे और सही माइनों में अगर आप गांधी जी का नाम लेकर उनकी वोटों को मांगते हैं, तो कुछ तो शर्म करनी चाहिये कि जब उनकी समाधि पर खड़े हो कर यह पूजा करते हैं कि हरिजन गांधी जी को कितने प्यारे थे, तो कुछ तो हरिजनों का कल्याण कीजिये। केवल दो चार मंत्री बनाने से उनका कल्याण नहीं होगा।

RE : DEATH OF SHRI LAL BAHADUR SHASTRI—*Contd.*

सभापति महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने जो कहा था कि श्री लालबहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में उसके बारे में होम मिनिस्टर साहब बयान देगें।

श्री अटल विहारी बाजपेयी : श्री प्रकाशवीर शास्त्री को इसकी सूचना दे दी है?

SHRI P. K. DEO : Why do you take away the Private Members' Bills' time ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): That statement was made during the Private Members' Bills' time only.

THE MINISER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : A point was raised in this House a short while ago...

AN HON. MEMBER : Was Shri Prakash Vir Shastri informed ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : He never informed us either.

It is not only unfair to the Government, but it is unfair to the whole House, I should say, that points like that are raised without any notice. It had been suggested that Government is tampering with the record in connection with the death of late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri. I want to categorically repudiate that. No such thing is being done. There was a question on this the other day but it could not be taken up. In a short time, the Government would come with a fuller statement of the facts and circumstances.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर) सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल रिकार्ड को खराब करने का सवाल नहीं। आप एक उच्चाधिकार सम्पन्न आयोग क्यों नहीं नियुक्त करते, जो कि सारे मामले की जांच करे।

श्री राम निवास मिर्धा : उसकी बहस तो कर लेंगे जब समय होगा। आज तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य माननीय सदस्य ने यहां पर दिया, उसके जवाब में मुझे यह कहना आवश्यक था। तो मैंने सदन को इसके बारे में बता दिया।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह कहा गया था कि जो स्टेनोग्राफर हैं, जो कर्मचारी हैं, और जिनको मालूम है कि किस प्रकार शास्त्री जी की मृत्यु हुई उन पर दबाव डालकर कहा जा रहा है कि इस प्रकार की कोई बात न कही जाय जिससे इस प्रकार की बात निकले कि शास्त्री जी नेचुरल डेथ से नहीं मरे। मैं आप से कहूंगा कि जब उनकी धर्मपत्नि को शुबाह है, देश के हर आदमी को शुबाह है, प्राइमा फैसी यह बात है तो आप कमीशन क्यों नहीं बनाते।